फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती कैलाश कंवर बनाम भंवरलाल (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111-128 नं० 55 सन् 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
-5-23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 9-5-23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
10-5-23	पत्रावली महंगाई राहत केम्प एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पचांयत अमरगढ़ मे पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगन अनुपस्थित। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामि० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। **हुक्मीचन्द रोहलानिया** **उपखण्ड अधिकारी माण्डल** **प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023**	

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 55/23 प्रा.पत्र

1– श्रीमती कैलाश कंवर w/o श्री सम्पतसिंह राजपूत निवासी अमरगढ़ तहसील मांडल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री भंवरलाल s/o श्री अमरचन्द जाट निवासी अमरगढ़ तहसील मांडल (समस्त) [पृष्ठांकित प्रार्थना पत्र संलग्न]

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 10.05.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अमरगढ़ पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 1009, 1010 कुल किता 02 रकबा 1.2393 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.05.23 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम अमरगढ़ पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1009, 1010 कुल किता 02 रकबा 1.2393 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक मीथास को 800/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुक्मीचन्द रोहेलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुक्मीचन्द रोहेलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023